पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी
आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार
दिनांक 21/2/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य
स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 16/5/25 को पेश है।

पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य
स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 21/8/25 को पेश है।

पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। अपीलार्थी ने बहस हेतु अवसर चाहा। न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है। अग्रिम तारीख पर बहस पेश नहीं करने पर बहस स्वतः ही बंद समझें। पत्रावली दिनांक 25/11/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। अधि. अपीलार्थी ने बहस हेतु अवसर चाहा। अधि. प्रार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई। पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके हैं। बहस आवश्यक बंद किया जाता है। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष आवश्यक पर सुनी गई। बहस प्रार्थी मुताबिक आवश्यक रहे तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा आवश्यक तथ्यों का खण्डन किया। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी के हितों का निर्धारण मूलपाठ के साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर तर्कसंगत कायम की जाकर किया जाता है। मूल पाठ के निस्तारण तक विवादित भूमि के

रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते है तथा वाद बहुस्थानी के बढ़ने की संभावना है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा अपार्थीगण को अग्रिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि ख.नं. 1975, 2094, 2345, 2347 ~~2376, 2377~~ 1976, 1977, 2096 वाके ग्राम फुसोहर का गत तहसील दांतारामगढ़ सीकर की भूमि पर रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद संख्या 4/2022 के निर्णय तक बनाये रखें। और स्थान आम रास्ते के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की हद तक लागू नहीं होगा। फायदी कलम चमार होकर नम्बर से कम हो, काबिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर